<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u> <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-20082022-238217 CG-DL-E-20082022-238217

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 568] No. 568] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 18, 2022/श्रावण 27, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 18, 2022/SHRAVANA 27, 1944

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2022

सा.का.िन. 643(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3, धारा 4, धारा 5 की उपधारा (5) और उपधारा (6), धारा 6, धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 8 की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख), धारा 12 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) और उपधारा (9), धारा 13 की उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के परंतुक, धारा 14 की उपधारा (2), धारा 17 की उपधारा (1) और धारा 20 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (निगमन) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निगमन) तीसरा संशोधन नियम, 2022 है।
 (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. कंपनी (निगमन) नियम, 2014 में, नियम 25क के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-"25ख. कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का भौतिक सत्यापन
 - (1) रजिस्ट्रार, एमसीए21 पर उपलब्ध कराई गई जानकारी या दस्तावेजों के आधार पर, कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते का दौरा करेगा और धारा 12 की उपधारा (9) के प्रयोजनों के लिए स्थानीय दो स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति में जिसमें उक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, उक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का भौतिक सत्यापन कराएगा और ऐसे सत्यापन के लिए स्थानीय पुलिस की सहायता भी ले सकेगा, यदि अपेक्षित हो।

5591 GI/2022 (1)

- (2) रजिस्ट्रार, भौतिक सत्यापन के प्रयोजनों के लिए कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते के समर्थन में एमसीए21 पर फाइल किए गए दस्तावेज और जहां उक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है उस संपत्ति के अधिभोगी द्वारा विधिवत प्रमाणित किए गए उक्त भौतिक सत्यापन के दौरान एकत्र किए गए ऐसे पते का समर्थन करने वाले दस्तावेजों की प्रतियों के साथ प्रति सत्यापन द्वारा इसकी प्रामाणिकता की जांच करने के लिए दस्तावेज ले जाएगा।
- (3) रजिस्ट्रार इसके भौतिक सत्यापन के समय कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का एक फोटो लेगा।
- (4) भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट निम्नलिखित रूपविधान में तैयार की जाएगी, अर्थात्:-

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के भौतिक सत्यापन पर रिपोर्ट:

- 1. कंपनी का नाम और सीआईएन:
- 2. एमसीए21 रिकॉर्ड के अनुसार कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का नवीनतम पता:
- 3. कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्राधिकार पत्र की तारीख:
- 4. कंपनी के रजिस्ट्रार का नाम:
- 5. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के भौतिक सत्यापन की निरीक्षण की तारीख और समय:
- 6. सीमा चिन्ह के साथ स्थान का ब्यौरा:
- 7. निरीक्षण के समय उपलब्ध व्यक्ति का ब्यौरा, यदि कोई हो:
 - (i) नाम:
 - (ii) पिता का नाम:
 - (iii) आवासीय पता:
 - (iv) कंपनी के साथ संबंध, यदि लागू हो:
- 8. टिप्पणी, यदि कोई हो:
- 9. संलग्न दस्तावेज:
 - (i) स्वामी/किरायेदार/पट्टेदार से कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के करार /स्वामित्व/किराया करार/अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्रति:
 - (ii) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय की फोटो:
 - (iii) उपलब्ध व्यक्ति का स्व-प्रमाणित परिचय पत्र, यदि कोई हो:
 - (iv) कोई अन्य दस्तावेज:

तारीख:	हस्ताक्षर:
--------	------------

स्थान:

शासकीय पते के साथ

पदधारी का नाम और पदनाम

(5) जहां कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय सभी संसूचनाओं और नोटिस को प्राप्त करने तथा स्वीकार करने में सक्षम नहीं पाया जाता है, तो रजिस्ट्रार, आरओसी द्वारा कंपनी तथा कंपनी के सभी निदेशकों को, अपने आशय के साथ नोटिस भेजेगा कि कंपनी का नाम कंपनी के रजिस्टर से हटा दिया जाए तथा उनसे यह अनुरोध करते हुए कि सुसंगत दस्तावेजों यदि कोई हो, की प्रतियों सहित अपने अभ्यावेदन को अधिनियम की धारा 248 के उपबंधों के अनुसार अग्रिम कार्यवाही करने से पहले नोटिस की तारीख से तीस दिन के भीतर भेजा जाए।"

[फा. सं. 1/13/2013-सीएल. V, भाग.IV]

मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 250(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सं. 291(अ), तारीख 08 अप्रैल, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 2022

- **G.S.R. 643(E).**—In exercise of the powers conferred under section 3, section 4, sub-sections (5) and (6) of section 5, section 6, sub-sections (1) and (2) of section 7, sub-sections (1) and (2) of section 8, clauses (a) and (b) of sub-section (1) of section 11, sub-sections (2), (3), (4), (5) and (9) of section 12, sub-sections (3), (4) and proviso to sub-section (5) of section 13, sub-section (2) of section 14, sub-section (1) of section 17, sub-sections (1) and (2) of section 20 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Incorporation) Rules, 2014, namely:-
- 1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Companies (Incorporation) Third Amendment Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Companies (Incorporation) Rules, 2014, after rule 25A, the following rule shall be inserted, namely:-
 - "25B. Physical verification of the Registered Office of the company.-
 - (1) The Registrar, based upon the information or documents made available on MCA 21, shall visit at the address of the registered office of the company and may cause the physical verification of the said registered office for the purposes of sub-section (9) of section 12, in presence of two independent witness of the locality in which the said registered office is situated and may also seek assistance of the local Police for such verification, if required.
 - (2) The Registrar shall carry the documents as filed on MCA 21 in support of the address of the registered office of the company for the purposes of physical verification and to check the authenticity of the same by cross verification with the copies of supporting documents of such address collected during the said physical verification, duly authenticated from the occupant of the property whereat the said registered office is situated.
 - (3) The Registrar shall take a photograph of the registered office of the company while causing physical verification of the same.
 - (4) The report of the physical verification shall be prepared in the following format namely:-

Report on Physical Verification of the Registered Office of the Company:

- 1. Name and CIN of the company:-
- 2. Latest address of the registered office of the company as per

MCA 21 record:-

3. Date of authorisation letter issued by the Registrar of

Companies:-

- 4. Name of the Registrar of Companies:-
- Date and Time of visit for physical verification of the registered office:-
- 6. Location details along with Landmark:-
- 7. Details of the person available, if any at the time of the visit-
 - (i) Name:-
 - (ii) Father's Name:-
 - (iii) Residential address:-
 - (iv) Relationship with the company, if applicable:-
- 8. Remarks if any:-
- 9. Documents attached:-

- (i) Copy of the agreement/ownership/rent agreement/No Objection Certificate of the registered office of the company from owner/tenant/lessor:-
- (ii) Photograph of the registered office:-
- (iii) Self Attested ID-Card of the person available, if any:-
- (iv) Any other document(s):-

Date:

Place: Signature

Name and Designation of the official with official address.

(5) Where the registered office of the company is found to be not capable of receiving and acknowledging all communications and notices, the Registrar shall send a notice to the company and all the directors of the company, of his intention to remove the name of the company from the register of companies and requesting them to send their representations along with copies of relevant documents, if any, within a period of thirty days from the date of the notice before taking further actions in accordance with the provisions of section 248 of the Act."

[F. No. 1/13/2013-CL-V, Vol. IV] MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section(1) *vide* number G.S.R.250(E), dated the 31st March, 2014 and last amended, *vide* number 291 (E), dated the 8th April, 2022.